कायोलय प्रधान महालेखाकार (लेखा एव हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, MAHARASHTRA, NAGPUR

No. WM-I/ICC/2026 Date: 07/07/2026

Circular No. 95

Subject :Redressal of complaints of sexual harassment at workplace – regarding.

विषय: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के संबंध में।

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act, 2013) provides for the constitution of an Internal Complaints Committee (ICC) at every workplace for receiving and redressing complaints of sexual harassment.

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 [POSH Act, 2013] के अंतर्गत प्रत्येक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के प्राप्ति एवं निवारण हेतु आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee - ICC) का गठन किया जाना अनिवार्य है।

In respect of the Divisional Accounts Officers/Divisional Accountants (DAOs/DAs) cadre, the "workplace" shall mean the division/office in which the official is posted in the State of Maharashtra. Accordingly, the Internal Complaints Committee constituted in the respective division/office shall be the appropriate authority to receive and redress complaints relating to sexual harassment at the workplace.

संभागीय लेखा अधिकारी/संभागीय लेखाकार (DAOs/DAs) संवर्ग के संबंध में "कार्यस्थल" से अभिप्राय उस कार्यालय/संभाग से होगा जहाँ संबंधित अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान में महाराष्ट्र शासन के अधीन पदस्थापित हैं। अतः संबंधित कार्यालय/संभाग में गठित आंतरिक शिकायत समिति (ICC) ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को प्राप्त करने एवं उनका निवारण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगी।

Accordingly, all female officials of the DAOs/DAs cadre are hereby instructed to approach the Internal Complaints Committee constituted in their respective divisions/offices to redress any complaints relating to sexual harassment at the workplace, whenever required.

अतः DAOs/DAs संवर्ग की सभी महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि यदि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी कोई शिकायत उत्पन्न होती है, तो उसके निवारण हेतु वे अपने-अपने कार्यालय/संभाग में गठित आंतरिक शिकायत समिति (ICC) से संपर्क करें।

(Authority: Principal Accountant General's orders dated 06/07/2026.)

(प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार के दिनांक 06/07/2026 के आदेशानुसार।)

सुषमा

Sr. Dy. Accountant General (Works Accounts)

No. WM-I/ICC/2026 Date: /07/2026

Copy forwarded to /प्रतिलिपि प्रेषित:

1. PA to Sr. DAG (Works Accounts), Maharashtra, Nagpur.
   वरिष्ठ उप महालेखाकार (निर्माण लेखा), महाराष्ट्र, नागपुर के निजी सहायक ।

2. O/o the Principal Accountant General (A&E)-I, Maharashtra, Mumbai.
   प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र, मुंबई का कार्यालय।

3. Secretary, DAO/DA Association, Maharashtra.
   सचिव, DAO/DA एसोसिएशन, महाराष्ट्र।

4. Sr. Accounts Officer/EIS – for uploading the circular on the official website.
   वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ईआईएस – कार्यालय की वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करने हेतु।

5. Circular File.
   परिपत्र फाइल।

— Sd —
Sr. Accounts Officer / WM-I
वरिष्ठ लेखा अधिकारी / निर्माण विविध-I